राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार–201

केम्प स्थल............................

दिनांक 30/6/17

पत्रावली पेश हुई अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी उपस्थित अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गया। कागजात भूमि अर्थात प्रस्तुत प्रकरण में वर्णित भूमि मृतक प्रेमचन्द की बाल्यावस्था में खरीद कर लिये जाने के कथन किये एवं मृतक रमेश की पत्नी द्वारा रमेश के जीवनकाल में ही रमेश को छोड़कर अन्य स्थान पर नाता विवाह करने के कथन किये। प्रकरण में अपील के स्तर पर किसी के भी स्वत्व तय नहीं किये जा सकते किन्तु प्रकरण में कतिपय विधिक व साक्ष्य तथ्य विद्यमान है, जिनका सम्यक सुनवाई उपरान्त ही विनिश्चय किया जा सकता है। प्रकरण में अपीलान्ट को अधीनस्थ आदेश पारित करते समय सुनवाई का अवसर दिया हो यह भी प्रकट नहीं होता है। प्रकरण में अधीनस्थ आदेश पारित करते समय नैसर्गिक न्याय तथा प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित किया जाना प्रकट होता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ आदेश नामान्तरण 379 दि0 20.5.14 बाबत ग्राम फतेहपुर को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रामगंजमण्डी को इस निर्देश के साथ	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि वे उभय पक्षों को साक्ष्यादि पेश करने के पश्चात एवं युक्ति-युक्त अवसर देकर नवीन सिरे से निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार रामगंजमण्डी को भिजवाई जावे। पत्रावली की निर्णित में गणना की जाकर प्रविष्ट लेखागार हो। उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी (कोटा)

Scanned by CamScanner